न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

नम्बर 236/2015

दायर दिनांक–12–10–2015

विजय सिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादी

बनाम

अजय सिंह पुत्र जयसिंह
गेदकंवर बेवा जयसिंह
भवानीराज पुत्र उम्मेद सिह
. भवानी राज पुत्र उम्मेद सिंह
5. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
6. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सौभाग्य सिंह
7. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सौभाग्य सिंह
8. हिम्मत सिंह पुत्र स्व0 सौभाग्य सिंह
9. संग्राम सिंह पुत्र कल्याण सिंह
10. जितेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
11. विरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
12. प्रभू सिंह पुत्र नारायण सिंह
13. श्योदान सिंह उर्फ सुजान सिह पुत्र नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
14. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिए तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

कील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर
कील प्रति. नं. :– श्री जयपाल सिंह शेखावत

दावा बाबत घोषणार्थ व
रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–25–07–2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 1644 कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा नया खसरा नम्बर 5192/3361 बनाये थे इसके नये खसरा नम्बर 2722 कुल रकबा 0.90 हैक्टर है। उक्त भूमि वादी व प्रविादीगण संख्या 1 लगायत 13 की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि है जो कि वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जोवगी।

वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज पुराना खसरा नम्बर 1644 कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा नया खसरा नम्बर 5192/3361 बनाये गये थे। इसके [illegible] 0.90 हैक्टर बने जो कि अब गैर मुमकीन नदी है। इसमें वादी व प्रतिवादीगण के दादा जो[illegible] जो कि भूमि खसरा नम्बर पुराने नम्बर 1644 कृषि भूमि थी जिसके खातेदार आस[illegible]सिंह, किशोर सिह, शिवसिंह आदि थे। पुराने खसरा नम्बर 164[illegible] के मुताबिक [illegible] भू–प्रबन्ध कार्य भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा नये खसरा नम्बर 5192/336[illegible] गये थे। इस खसरा नम्बर 5192/3361 के कायम होने के बाद में अल[illegible] नया राजस्व ग्राम बनने [illegible] पुनः नम्बर बदले जाकर हाल खसरा नम्बर 2722 बनाये गये है। इस प्रकार कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बारन से बनने वाले नये खसरा नम्बरान की भूमि की किस्म नही बदली जा सकती है, परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना अधिकार के और बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत कृषि भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.डी.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ़

ने वाले नये खसरा नम्बरान को गैरमुमकीन नदी के रूप में परिवर्तित किया है, जब कि कृषि भूमि से बनने वाले नये खसरा नम्बरान को गैरमुमकीन नदी के रूप मे परिवर्तित नही किया जा सकता है, परन्तु इसके बावजूद भी भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने बिना वैधानिक अधिकारों के गलत रूप से गैर मुमकीन नदी के रूप में परिवर्तित किया है। भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भू-प्रबन्ध कार्य के दौरान कानून पुराने रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। केवल मात्र पुराने रिकार्ड की पुनरावृति करने का अधिकार था, और किसी भी सक्षम न्यायालय के आदेश के अभाव में पुराने रिकार्ड में कोई भी परिवर्तन या रद्दबदल करने का भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो और अधिकारियों को दौराने भू-प्रबन्ध कार्य कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही थे, परन्तु भू-प्रबन्ध अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के बिना किसी आधार के कृषि को गैरमुमकीन नदी के रूप में परिवर्तित किया है, जो कि कतई गलत व बिना अधिकार के किया गया है।

गैर मुमकीन नदी के रिकार्ड में भी भूमि पुराने खसरा नम्बर 1644 की भूमि दर्ज नही थी। मिलान क्षैत्रफल भूमि खसरा नम्बर पुराने 1644 की भूमि दर्ज नही थ। मिलान क्षैत्रफल भूमिखसरा नम्बर 1644 व खातेदार की भूमि पुराने खसरा नम्बर 1644 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से सम्वत् 2020 जिसके पुराने खसरा नम्बर 2063 थे जो जोध सिंह व ठाकुर फतेह सिंह के नाम थी उपरोक्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर सम्वत् 2021 में बदलकर 1644 हो गये व भूमि 2 बिघा 8 बिस्वा थी जो आस कंवर बेवा कान सिंह हिस्सा 1/5 किशन सिंह, मूल सिंह, उम्मेद सिह व जय सिंह पिता जोध सिंह कौम राजपूत हिस्सा 4/5 बराबर-बराबर थे। उक्त कृषि भूमि सम्वत् 2025 से 2028 मे आस कंवर बेवा कान सिंह हिस्सा 1/5 मूल सिंह उम्मेद सिंह जयसिह पुत्र जोध सिंह हिस्सा 3/5 व नारायण सिंह सुमेर सिंह किशोर सिंह शिव सिंह पुत्र किशन सिंह हिस्सा 1/5 उक्त कृषि भूमि सम्वत् 2028 से 2033 व सम्वत् 2033 से 2036 तक भी इन्ही खातेदारो के नाम दर्ज चली आ रही थी, परन्तु आधार वर्ष सम्वत् 2044 मे खसरा नम्बर 1644 के नये खसरा नम्बर 5192/3361 नये बना कर उक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन करके गैर मुमकीन नदी दर्ज कर दी।

वाद-पत्र की मद संख्या 1 मे दर्ज पुराना खसरा नम्बर 1644 रकबा 5 बिघा 6 बिस्वा जो इसके नये खसरा नम्बर 5162/3361 और इसके नये खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टर बने है, इसमें से वादी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 02 का 1/12-1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 4 का 1/8-1/8 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 5 का हिस्सा 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 06 लगायत... 1/40-140 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 8 लगायत 10 प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 11 का हिस्सा 1/4 मे से 1/2 हिस्सा है, प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 13 का प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा है, जो कि अपने हिस्से के अनुसार काबिज एवं काश्त है। भू-प्रबन्ध द्वारा वादग्रस्त भूमि जो वादी व प्रतिवादीगण की खातेदार व काश्त की भूमि को बिना अधिकार व बिना किसी कानून के भू-प्रबन्ध द्वारा (सैटलमेंट) कृषि भूमि की खातेदारी को गैरमुमकीन नदी दर्ज कर दी, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही था। उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर बिना अधिकार के वादी की व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत बनाया गया जो वादी व प्रतिवादीगण के अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण से बेअसर व शून्य है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड से किसी को कोई अधिकार पैदा नही होता है, परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड से किसी को कोई अधिकार पैदा नही होता है, परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड के कारण वादी व प्रतिवादीगण प्रतिवादी नम्बर 14 बेदखल करने पर आमादा है, अगर गलत रूप से बदेखल कर देगें तो वादी व प्रतिवादीगण को सख्त तुल्क होगी। ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के त[illegible] बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री व आदेश के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन [illegible] था। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड बनने के कारण वादी को अपने अधिकारों की रक्षार्थ [illegible] व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी नम्बर 14 की नियत में फर्क आ गया गलत [illegible] राजस्व रिकार्ड की आड में वादी व प्रतिवादीगण को किसी भी क्षण उसके वैध अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है। अगर प्रतिवादी नम्बर 14 अपनी नाजायज मंशा में सफल हो जाता है तो वादी व प्रतिवादीगण को अपने वैधिक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। जिसकी वजह से व्यर्थ की मुकदमे बाजी मे फसना पडेगा। आर्थिक नुकसान इतना होगा जिसकी क्षति

ए.सी.ई.एम.(का.दे.)
नवलगढ

किसी भी रूप में सम्भव नही होगी तथा मानसिक पीड़ा अलग से भुगतनी पडेगी। इसलिए प्रतिवादी नम्बर को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी व काश्त की भूमि में न तो बेदखल करने की कार्यवाही करे तथा ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से ऐसा कार्य करवावे। और ना ऐसी कार्यवाही स्वयं करे। जिससे वादी व प्रतिवादीगण को अपने हक अधिकारों से महरूम होना पडेगा और ना नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी। प्रतिवादी नम्बर 14 कब्जे काश्त मे ना स्वयं दखलन्दाजी करे और ना ही अन्य किसी से करवावे। शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग लाट–बाट करने दे। प्रतिवादी नम्बर 14 गलत राजस्व रिकार्ड की आड में वादी व प्रतिवादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी व काश्त की कृषि भूमि को गैर मुमकीन नदी नाला मानकार बिना किसी कानून के वादी व प्रतिवादी गण को हटाने में आमादा है, तथा कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने में आमादा है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है प्रतिवादी नम्बर 14 ने ऐलानिया रूप से धमकी दी है कि कश्त नही करने दूगा व काश्त करोगे तो फसल को कुर्क करूंगा व कब्जे राज ले लूंगा। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

उक्त वादी के लिए वाद कारण दिनांक 08.10.2015 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने व प्रतिवादी नम्बर 14 द्वारा वादी को धमकी देने के रोज वादकारण राज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ है। और हर काश्तकार को अपने कब्जे काश्त की भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का वादाधिकार हमेशा ही पैदा रहता है।

प्रतिवादी नम्बर 14 लोक सेवक के विरूद्ध वाद–पत्र पेश करने से पूर्व 2 माह का नोटिस देना आवश्यक होता है, लेकिन मामला अति–अर्जेन्ट नेचर का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी का पेश कर न्यायालय की अनुमति से प्रतिवादी नम्बर 14 को पक्षकार बनाकर यह दावा पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, तथा ग्राम परसरामपुरा में स्थित है, एवं पक्षकारान वाद भी अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार मे निवास करते है।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आश्य की घोषणा की डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1644 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा जो इसके नये खसरा नम्बर 5162/3361 और इसके नये खसरा नम्बर 272 रकबा 0.90 हैक्टर बने है इसमें से वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 का 1/12–1/12, प्रतिवादी नम्बर 03 व 04 का 1/8–1/8, प्रतिवादी नम्बर 5 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 7 का 1/40–1/40, प्रतिवादी नम्बर 08 लगायत 10 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 11 का हिस्सा 1/4 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 13 का प्रत्येक को 1/8–1/8 है। हिस्सेनुसार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रतिवादी नम्बर 14 तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे। वादी व प्रतिवादीगण के काश्त व कब्जे की भूमि को भू–प्रबन्ध विभाग द्वार गलत राजस्व रिकार्ड से खातेदारी समाप्त कर गैर मुमकीन नदी दर्ज की गई की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम की घोषणा करने का आदेश फरमाया जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

प्रतिवादी नम्बर 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि को ना तो स्वयं बेदखल करने की कार्यवाही करे ना ही आने अधिनस्थ कर्मचारियों से करवावे ना ही लाट–बांट की बाधा उत्पन्न करे ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करवावे। उपयोग–उपभोग का कार्य शांतिपूर्वक करने देवें। अन्य कोई सिविल अनुतोष जो वादीगण के हक में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावे। मुकदमा हर्जा–खर्चा दिलवाया जावे।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री जयपाल सिंह शेखावत ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा वादी द्वारा जो वाद–पत्र पेश किया गया है उसको दिनांक 05.04.2022 को स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किये जाने की सहमति प्रस्तुत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 14 की ओर बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगढ

...ी उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी ...या 02 का दिनांक 05.04.2022 को नाम हजफ किया गया।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकीयात की ...यम नही की गई। शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी विजय सिंह उपस्थित हो अपने मुख्य ...रीक्षण के शपथ–पत्र पेश किये गये। वादी द्वारा और शहादत पेश नही करने पर शहादत वादी बंद की गई। ...करण में प्रतिवादीगणों की एकतरफा कार्यवाही होने से शहादत प्रतिवादी नही ली गई। वादी ने अपने वाद–पत्र ...के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रदर्श–1 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2021–2024, प्रदर्श–2 ग्राम ...परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2025–2028, प्रदर्श–3 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी आधार वर्ष 2044, ...प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2053 आधार वर्ष, प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–6 ग्राम ...परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2048–2051, प्रदर्श–7 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2052–2055, ...प्रदर्श–8 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2056–2059, प्रदर्श–9 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् ...2061–2064, प्रदर्श–10 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2064–2068, प्रदर्श–11 खसरा गिरदावरी सम्वत् ...2031–2033, प्रदर्श–12 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022–2025, प्रदर्श–13 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016–2020, ...प्रदर्श–14 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013–2016, प्रदर्श–15 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012, प्रदर्श–16 ...जमाबंदी सम्वत् 2066–2069, प्रदर्श–17 जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 आदि प्रदर्शित करवाये गये।

जवाब देही पेश होने बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान वाद में पत्र ...में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र के अनुसार न्यायालय को तय करना है कि ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टर के संबंध में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है अथवा नही तथा प्रतिवादी संख्या 14 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नही। वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल के अनुसार वादग्रस्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर 2722 बनना साबित है। दस्तावेज प्रदर्श–16 वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो खाता संख्या 1 राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज है तथा गैर मुमकीन नदी के रूप में दर्ज है। वस्तुस्थिति के लिए प्रतिवादी संख्या 14 से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भी भूमि खसरा नम्बर 2722 गैर मुमकीन नदी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1644 रकबा 2 बीघा 8 बिश्वा (यानिकि रकबा 0.60 हैक्टर) के नये खसरा 5192/3361 रकबा 0.90 हैक्टर बने हो जो प्रदर्श 5 से साबित है। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 5192/3361 के नये खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टर बने है जो प्रदर्श– 04 से प्रमाणित होता है। जमाबंदी सम्वत 2021–2024 व 2025–2028 में खसरा नम्बर 1644 रकबा 2 बीघा 8 बिश्वा जिसका हैक्टर में रकबा 0.60 हैक्टर बनता है। जमाबंदी सम्वत् 2044 आधार वर्ष में खसरा नम्बर 5192/3361 रकबा 0.90 हैक्टर अंकित है इसी प्रकार वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टर होना पाया गया है। उक्तानुसार वाद–पत्र में चाहे गये अनुतोष हेतु प्रार्थी के रकबे में भिन्नता है। वादी द्वारा वाद–पत्र में चाहा गया अनुतोष के अनुसार खसरा नम्बर 1644 रकबा 05 बीघा 6 बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 5162/3361 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टर की खातेदारी चाही है जबकि पुराना खसरा नम्बर 1644 रकबा 05 बीघा 6 बिश्वा बाबत भी कोई दस्तावेज वादी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। रकबे का प्रमाणन ... रिकार्ड द्वारा प्रमाणित नही होने से वाद वादी स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। इसके साथ ही ... की किस्म (गै.मु.नदी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में ... होने के कारण भी वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत ... काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि भूमिया जिनमें खाते... अधिकार प्राप्त नही होगे जिनमें नदी की भूमि भी सम्मलित है अर्थात गैर मुमकीन नदी के संबंध में इस अधिनियम में अथवा राज्य के किसी भाग में उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि अधिनियमिति किसी बात के होते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होगे। फलस्वरूप वादी गैर मुमकीन नदी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। माननीय सर्वोच्च

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(का.दे.)
नवलगढ

...यालय की एस.एल.पी.(सी.) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में ...रित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या ...6/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के अनुसार ...पादित किया है कि नदी, तालाब, जोहड़ पायतन जो धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों के संबंध में प्रतिबन्धित ...णी की भूमि है। अतः इनमें खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही किये जा सकते है। ना ही किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करने में असफल रहा है। वादी के पक्ष में किसी प्रकार की घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वाद वादी न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

:: **आदेश** ::

उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में वाद वादी स्वीकार किए जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री ...पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **25.07.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(...यन्ती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 236 / 2015 **(विजय सिंह आदि बनाम अजय सिह आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.07.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.07.2022 को जारी की गई।

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
दमयंती कंवर
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:29:50 IST
Reason: SelfAttested